

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुअल
धारा-4(1)(b)(viii)

अकादमी के निर्देशन एवं कार्य संचालन हेतु गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण व इनकी बैठकों में जनता की पहुंच

(Statement of Academy's Boards, Councils, Committees and others bodies constituted as its part for the purpose of its advise and accessibility for public)

अकादमी के निर्देशन एवं कार्य संचालन हेतु स्थायी और अस्थायी प्रकृति के बोर्ड, परिषदें, समितियां, निकाय गठित की जाती है. इनका विवरण निम्नवत है:

क्र.	बोर्ड/परिषद का विवरण	शासनादेश संख्या	जनता तक पहुँच
1	<p>बोर्ड ऑफ गर्वर्नंस</p> <p>1. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल - अध्यक्ष</p> <p>2. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य</p> <p>4. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग - सदस्य</p> <p>5. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल - सदस्य/सचिव (उक्त के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक या उनके प्रतिनिधि व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के निदेशक या उनके प्रतिनिधि भी उक्त समिति में नामित हैं)</p>	<p>ज्ञाप संख्या- 984/XXX(2)/2011 दि. 29.09.2011 द्वारा प्रख्यापित</p>	<p>बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें केवल नामित सदस्य ही भाग लेते हैं. अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्री सदस्य भाग ले सकते हैं.</p> <p>बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है जो अनुमोदन के उपरान्त अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है.</p>
2	<p>संकाय अधिकारियों के निःसंवर्गीय पदों पर चयन हेतु समिति</p> <p>1. सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन- अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक/निदेशक, अकादमी नैनीताल- सदस्य</p> <p>3. महानिदेशक/निदेशक अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट विषय विशेषज्ञ- सदस्य</p>	<p>कार्मिक अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के अधिसूचना संख्या- 517/का-3-92-9/66 /90 दिनांक 29 फरवरी 1992 तथा अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक राजपत्रित) सेवा नियमावली के नियम-16(1) में निर्धारित.</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं.</p> <p>समिति की संस्तुति शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है.</p> <p>आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि स्वीकृति सार्वजनिक की जा सकती है.</p>

<p>3</p>	<p>लिपिक वर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु चयन समिति</p> <p>सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक से अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य <p>पदोन्नति द्वारा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक के अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग- 3 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं.- 363/का-3-24/64/7 7 दिनांक 19 मार्च, 1983 के अन्तर्गत विज्ञापित लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के नियम, 15-16-17 में निर्धारित</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p>
<p>4</p>	<p>प्राविधिक वर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु चयन समिति</p> <p>सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक से अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य <p>पदोन्नति द्वारा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक के अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं.- 846/का-3-24/19/1982 दिनांक 23 जून, 1983 के नियम 15 व 16 में निर्धारित</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p>

5	<p>वाहन चालक की सीधी भर्ती हेतु चयन समिति सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1043/का-3-2 4/20/82 दिनांक 26 फरवरी 1982 द्वारा विज्ञापित सेवा नियमावली के नियम 15 में निर्धारित.</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p>
6	<p>चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु चयन समिति सीधी भर्ती:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक से अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य <p>पदोन्नति द्वारा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियुक्ति पदाधिकारी- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक के अनिम्न पद का एक अधिकारी- सदस्य 3. जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी- सदस्य 	<p>कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-20/3/1982 कार्मिक-2-85-एक दिनांक 16 मार्च 1985 विज्ञापित सेवा नियमावली के नियम-16 में निर्धारित.</p>	<p>समिति में केवल निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं। समिति की संस्तुति नियुक्ति पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथापि चयन की प्रक्रिया व नियुक्ति आदेश सार्वजनिक होता है।</p>
7	<p>अकादमी के कार्य संचालन हेतु इकाईयों का गठन</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशासनिक इकाई:- (प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, अधिष्ठाता, लेखा, स्टोर, रिकॉर्ड, दफ्तरी, वरिष्ठ अनुसेवक व अनुसेवक) 2. पुस्तकालय, प्रलेखन एवं प्रशिक्षण इकाई:- (पुस्तकालय स्टाफ, कैमरामैन, प्रशिक्षण सहायक, टंकक, पुस्तकालय/चर्चा कक्ष परिचर) 3. सूचना तकनीकी कम्प्यूटर इकाई:- (वैयक्तिक सहायक व अनुसेवक) 4. प्रबन्धकीय इकाई:- (स्वागती, व्यायाम प्रशिक्षक, चौकीदार, परिसर सहायक, मैस/अतिथि गृह परिचर, मैस व्यवस्थापक, मैस स्टाफ, मार्कर, इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था) 	<p>समय-समय पर कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>आवश्यकतानुसार इकाईयों की बैठकों में अधिकारी/इकाईयों के सदस्य भाग ले सकते हैं। इकाई का एजेन्डा व कार्यवाही सार्वजनिक होती है।</p>

8	<p>50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों हेतु स्क्रीनिंग समिति</p> <p>1. नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष 2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित दो अधिकारी- सदस्य</p>	<p>कार्मिक अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-13/48/85 कार्मिक-1 दिनांक 26 अक्टूबर 1985 के अन्तर्गत निर्धारित.</p>	<p>समिति में निर्धारित सदस्य ही भाग लेते हैं. समिति की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है. आम जनता या प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. स्क्रीनिंग की प्रक्रिया व आदेश सार्वजनिक होता है.</p>
9	<p>विभिन्न प्रकार की सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति</p> <p>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अधीन अकादमी स्तर पर समिति (एक सदस्यीय तथा तीन सदस्यीय समिति) का गठन किया जाता है, जिसकी संस्तुति के आधार पर सामग्री का क्रय किया जाता है.</p>	<p>समय-समय पर कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>समिति में निर्धारित सदस्य भाग लेते हैं. प्रक्रिया में भाग लेने वाले चिन्हित फर्म के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. क्रय की प्रक्रिया व संस्तुति अवलोकनार्थ उपलब्ध व सार्वजनिक की जाती है.</p>
10	<p>अकादमिक परिषद</p> <p>अकादमी निदेशक की अध्यक्षता में गठित अकादमी परिषद में समस्त संकाय अधिकारी सदस्य होते हैं. परिषद प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता व प्रभाविकता के लिए कार्यक्रम की संरचना, कार्यसारिणी, विशेषज्ञों, प्रशिक्षण विधियों, पाठ्य सामग्री तथा व्यवस्थाओं के संबन्ध में निर्णय लेती है.</p>	<p>कार्यालय स्तर पर जारी आदेशों के अन्तर्गत</p>	<p>परिषद की बैठक में सेवा प्राप्त करने वाले संगठन के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं. व अपने सुझाव दे सकते हैं.</p>
11	<p>अकादमी के निर्देशन में गठित निकाय</p>		
	<p>11.1 सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (सी.जी.जी.)</p> <p>सी.जी.जी. श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास गतिविधियों जिसमें प्रशिक्षण, शोध, परियोजनाएं, परामर्श कार्य सम्मिलित हैं, सेवा प्रदान करने वाली विशेषज्ञ निकाय है. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता व अन्य सचिवों की सदस्यता में गठित यह निकाय श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास हेतु निर्देश प्रदान करता है.</p>	<p>सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड.</p>	<p>सी.जी.जी. श्रेष्ठ प्रशासन के क्षेत्र में सुधार हेतु एक खुला मंच है और शासन, संगठनों, संस्थाओं, समाज के प्रतिनिधि इसकी गतिविधियों में भाग लेकर योगदान दे सकते हैं.</p>